न्यायालय तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झनुं (राज0)

मुकदमा	किस्म मुकदमा	रज्जु दिनांक	निर्णय दिनांक
120/2017	धारा 91 एल.आर.एक्ट	20.02.2017	23.04.2018

उनवान सरकार बनाम श्री मुशी खॉ पुत्र श्री भोलू खां जाति तैली निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज0)

–: निर्णय :–

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिक्रमी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है। पटवारी हल्का बुहाना ने इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्राम बुहाना के ख0 न0 2816/2321 कुल रकबा 108. 8934 है0 किस्म गैर मु0 बणी में से 0.03 है0 भूमि पर अतिक्रमी श्री मुशी खॉ पुत्र श्री भोलू खां जाति तैली निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज0) ने अवैध रूप से आवासीय मकान बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। अतिक्रमी ने नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया जो स्वीकार किया जाकर शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का गहनता से मनन किया गया। अतिक्रमी द्वारा किया गया अतिक्रमण जो काबिल नियमन नही है। ना ही नियमो के अनुरूप है। अतिक्रमी द्वारा आवासीय मकान बनाकर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण किये जाने के फलस्वरूप अतिक्रमी धोषित किया जाता है व जैर बहस रिपोर्ट पटवारी पर से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अतिक्रमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये अवैध रूप से अतिक्रमण किये जाने के दण्ड स्वरूप का अतिक्रमण शुदा शरह लगान 4.20 भूमि के लगान 0.13 की 50 गुणा जुर्माना राशि 7/– रूपये बतौर शास्ति कायम किये जाते है।

Scanned by CamScanner